राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण (एन.आर.एच.एम.) सेवायें
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः आयुष/एनआरएचएम/08/ 1575 दिनांक 28-5-08

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :– आयुष चिकित्सकों एवं आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों के संदर्भ में सामान्य दिशा–निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि एनआरएचएम के अन्तर्गत जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों का पदस्थापन किया गया है उनके लिए सामान्य दिशा–निर्देश इस प्रकार से है –

1. एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत एक छत के नीचे संचालित आयुष केन्द्रों का प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रहेगा, किन्तु तकनीकी दृष्टि से निरीक्षण आयुर्वेद विभागीय अधिकारी करेंगे। आयुर्वेद विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी दृष्टि से असंतोषप्रद सेवाएं बताई जाने पर संविदा आयुर्वेद चिकित्सक/आयुर्वेद नर्स–कम्पाउण्डर की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित आयुष केन्द्र के लिए पानी, बिजली एवं टेलीफोन (इन्टरकॉम एवं एक्सटेन्शन यदि उपलब्ध है) की सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
जयपुर

क्रमांकः आयुष/एनआरएचएम/08/ दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, सचिव परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–4), आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, राजस्थान सरकार, अजमेर।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, समस्त जिले।

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
जयपुर